फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

अनील बनाम राज0 सरकार वगै0

मुकदमा– प्रा0 पत्र अ0धा0 128 एल0 आर0 एक्ट

मु0नं0– 75/2022

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1060/1057 वाके ग्राम रेटा पटवार हल्का दुब्बी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि है। जिसको प्रार्थी अरर्सा बुजूर्गान बजमाने से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। भूमि मुतदाविया के पडोसी खातेदार प्रार्थी के असहाय एवं कमजोर होने के फायदा उठाकर प्रार्थी की भूमि को दबाने की कोशिश में लगे रहते है, तथा बीच में बनी मेड को तोडते रहते है। इसलिए प्रार्थी अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। बहस वकील प्रार्थी का मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि प्रार्थी की स्वंय की खातेदारी भूमि है जिसकी पत्थरगढी करवाने हेतु अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिकराय को वाके ग्राम रेटा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1060/1057 में पत्थरगढी कायम करने के आदेश प्रदान किए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	